राजस्व वाद संख्याः– 134 / 2025
मुकेश श्योराण बनाम जगदीश वगै0
निर्णय दिनांकः– 17.06.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– सुमन देवी II, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 134 / 2025

1. मुकेश श्योराण पुत्र करण सिंह जाति जाट, निवासी वार्ड नम्बर 02, पंचायत समिति के पास सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
2. महेन्द्र सिंह पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी पिलानी तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू राजस्थान

– वादीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र अखाराम जाति बंजारा निवासी पचेरीकलां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राजस्थान
2. बहादुर सिंह पुत्र अखाराम जाति बंजारा निवासी पचेरीकलां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राजस्थान
3. भीमाराम पुत्र अखाराम जाति बंजारा निवासी पचेरीकलां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राजस्थान
4. रामू पुत्र अखाराम जाति बंजारा निवासी पचेरीकलां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राजस्थान
5. श्रवण पुत्र अखाराम जाति बंजारा निवासी पचेरीकलां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राजस्थान
6. हजारीलाल पुत्र अखाराम जाति बंजारा निवासी पचेरीकलां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राजस्थान
7. राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान
8. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार पिलानी तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू राजस्थान

– प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत खाता विभाजन</u>

:: निर्णय ::

दिनांक – 17.06.2025

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) यह कि वादग्रस्त भूमी राजस्व ग्राम जीणी तहसील सूरजगढ़ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 97 रकबा 3.77 हैक्टर कुल किता 01 कुल रकबा 3.77 हैक्टर वादीगण की कब्जे काश्त भूमि का अलग से खाता विभाजन किया जाकर वादीगण के अलग से खसरा कायम किये जावें, अलग से लगान कायम की जावे व अलग से पासबुक जारी की जाने का आदेश फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

(ख) कि प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 06 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि राजस्व ग्राम जीणी तहसील सूरजगढ़ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 97 रकबा 3.77 हैक्टर कुल किता 01 कुल रकबा 3.77 हैक्टर का जबतक विधिवत बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स खाता विभाजन नहीं हो जाता है तब तक उक्त भूमि को विक्रय, गिरवी, रहन, बय एवं खुर्द बुर्द आदि नहीं करें व वादी के हिस्से कब्जे काश्त भूमि में ना तो स्वयं बाधा कारित करें और ना ही अपने किन्ही ऐजेंटो से बाधा कारित करावें जबतक विधिवत बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस खाता विभाजन नहीं हो जाता तब तक मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें जाने के आदेश फरमाया जावे।

(ख) यह खर्चा हर्जा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(ग) यह कि अन्य सिद्वी जो बहक वादी हो और भूल व गलती से चाही जाने से रह गई तो वह भी वादी को धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिलावाई जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये सम्मन जारी की गयी। प्रतिवादी सं0 01 लगायत 6 की तरफ से वकिल अंकित शर्मा ने वकालत नामा व राजीनामा पेश किया गया। वादी वकील ने राजीनामा के अनुसार वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074—77, नक्शा ट्रेस एवं विभाजन प्रस्ताव।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वकील वादी द्वारा मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किया जाने पर सहमति जाहिर की गई। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

—:: आदेश::—

न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खसरा नम्बर 97 रकबा 3.77 हैक्टर कुल किता 01 कुल रकबा 3.77 हैक्टर वाके ग्राम जीणी में वादीगण व प्रतिवादीगण से प्राप्त राजीनामा दिनांक 17.06.2025 के अनुसार वाद वादीगण डिकी किया जाता है । राजीनामा निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,

राजस्व वाद संख्या— 134 / 2025
मुकेश श्योराण बनाम जगदीश वगै०
निर्णय दिनांक— 17.06.2025

यह निर्णय आज दिनांक .06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले कोर्ट में सुनाया गया।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :— **सुमन देवी II, (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद सं.— 134 / 2025

निर्णय दिनांकः— .06.2025

मुकेश श्योराण बनाम जगदीश वगै०

दावा बाबत खाता विभाजन

वादी की ओर से श्री अजय कुमार एड० की उपस्थिती में इस वाद में आज दिनांक .06. 2025 को सुमन देवी II, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिकि दी जाती है कि—

" न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खसरा नम्बर 97 रकबा 3.77 हैक्टर कुल किता 01 कुल रकबा 3.77 हैक्टर वाके ग्राम जीणी में वादीगण व प्रतिवादीगण से प्राप्त राजीनामा दिनांक 17.06.2025 के अनुसार वाद वादीगण डिकी किया जाता है । राजीनामा निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।"

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़